आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013

में

आरक्षी नागरिक पुलिस

के पद पर भर्ती हेतु चयनित

अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराये जाने

हेतु

प्रबन्ध एवं दिशा–निर्देश

से सम्बन्धित बुकलेट

Scanned by CamScanner

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013

के चयन परिणाम में

आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु

चयनित अभ्यर्थियों का

चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु प्रबन्ध एवं निर्देश

अनुक्रमणिका

क.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा–निर्देश	1
2	परिपत्र संख्या दस–51–2013 दिनांक 25.09.2013 की प्रति	2 से 4
3	G.O.No. 4694/II-B-321-1947 दिनांक 28.4.1958(चरित्र सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश)	5 से 10
4	शपथ–पत्र का प्रारूप	11
5	उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप	12
6	दैनिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप (पुलिस मुख्यालय के ई–मेल पते पर सूचना भेजे जाने हेतु)	13
7	पुलिस मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु 26 कालम का प्रारूप	14
8	चरित्र सत्यापन की पत्रावलियाँ तैयार कर आवंटित जनपद को भेजे जाने का प्रारूप	15

Scanned by CamScanner

चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा–निर्देश

- आरक्षी नागरिक पुलिस के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी के ओएमआर आवेदन–पत्र में अंकित स्थाई व सभी अस्थाई/पत्राचार के पतों, जहाँ विगत 05वर्षों में एक वर्ष से अधिक अवधि के प्रवास पर रहा हो तथा अभिसूचना विभाग से चरित्र सत्यापन हेतु प्रत्येक के लिए अलग–अलग **पुलिस प्रपत्र संख्या–92** भरवाये जायेंगे।
- जनपद स्तर पर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जनपद के नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में दो टीमें कार्य करेगी। एक टीम जनपद के अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी तथा दूसरी टीम अन्य जनपदों से प्राप्त होने वाले चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायेगी। यह कार्यवाही प्रत्येक दशा में 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना अपेक्षित होगा।
- चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेख (यथा ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र, शैक्षिक, आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट आदि) पत्रावली के रूप में जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा संकलित करके भली–भाँति परीक्षण करा लिया जायेगा तथा अभिलेख एवं डाटा त्रुटिरहित एवं सही पाये जाने पर उनकी हार्ड एवं साफ्ट प्रति तैयार कराकर पत्रावली के रूप में सुरक्षित रखा जायेंगा। जिन्हें अभ्यर्थी के आवंटन के जनपद को यथासमय विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
- जनपद स्तर पर उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित सभी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के आवंटन के जनपद को उनके समस्त अभिलेख (यथा ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र, शैक्षिक, आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट आदि) पत्रावली के रूप में तत्समय विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। आवंटित जनपद के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक चयनित अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन से पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।
- चरित्र सत्यापन की प्रतिदिन की कार्यवाही की समीक्षा हेतु तकनीकी सेवायें द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के वेबसाइट पर लोड किये जाने वाले प्रोग्राम पर आन लाइन फीडिंग कराया जाना अपेक्षित होगा।
- चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति का विवरण उपस्थिति रजिस्टर के संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार किया जायेगा।
- प्रत्येक जनपद में बतौर **नोडल अधिकारी एक पुलिस उपाधीक्षक** द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी :–
  (क) प्रतिदिन चरित्र सत्यापन कार्य की प्रगति की समीक्षा,
  (ख) जनपद के अन्तर्गत चरित्र सत्यापन तथा अन्य जनपदों से प्राप्त होने वाले चरित्र सत्यापन समय से पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही,
  (ग) चरित्र सत्यापन के उपरान्त संकलित रूप में जनपदीय/अभिसूचना मुख्यालय के चरित्र सत्यापन के परिणाम के अनुसार अगली अपेक्षित कार्यवाही।
- अभ्यर्थीगण चरित्र सत्यापन हेतु अपने गृह जनपद के पुलिस कार्यालय में अपने साथ **प्रवेश–पत्र**, दस रूपये के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पर तैयार नोटरी से सत्यापित **शपथ–पत्र(प्रारूप** उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट **https://uppolice.gov.in** पर उपलब्ध है), अन्तिम शिक्षा प्राप्ति के शिक्षण संस्थान के प्रमुख/प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र तथा आचरण का प्रमाण–पत्र तथा पर्याप्त संख्या में पास पोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर उपस्थिति होंगे।
- प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक उप निरीक्षक ना0पु0 के नेतृत्व में **सहायता केन्द्र** स्थापित कर उसके माध्यम से अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाईयों का समाधान किया जाय।
- चरित्र सत्यापन की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का निकटतम पर्यवेक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

–+–

Scanned by CamScanner

मा0उच्च न्यायालय प्रकरण/समयवद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

सिग्नेचर भवन चतुर्थ तल टावर–1 स्थापना शाखा, अनुभाग–10 गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
ई–मेल पता : anubhagadhikari10phq@gmail.com वेबसाइट : uppolice.up.nic.in

पत्र संख्याःदस–51–2013(562) दिनांक : सितम्बर 05 , 2019

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय : आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 मा0उच्च न्यायालय में योजित सिविल रिट याचिका संख्या18442/2018 प्रमोद कुमार सिंह व 09 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 के अनुपालन में समान्य जाति की महिला आरक्षी 2052 एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के पुरूष वर्ग 34 कुल–2086 चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया जाना।

——

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ0प्र0 के पत्रांक डीजी–चार–120(10)2013 भर्ती पार्ट–2 दिनांक 20.08.2019 के साथ अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी–अनु–6–प–2/2015 दिनांक 10.06.2019 द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण के प्रकरण में मा0उच्च न्यायालय में योजित सिविल रिट याचिका संख्या–18442/2018 प्रमोद कुमार सिंह व 09 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 के अनुपालन में अनारक्षित सामान्य जाति महिला–2052 एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के पुरूष वर्ग 34 अभ्यर्थियों के चयन परिणाम की सूची भेजते हुये, इनके चरित्र सत्यापन आदि की कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा गयी है।

2. आरक्षियों के समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्याः18442/2018 प्रमोद कुमार सिंह व 09 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 के परिप्रेक्ष्य में 2052 आरक्षी महिला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के पुरूष वर्ग 34 आरक्षी अभ्यर्थियों सहित कुल–2086 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अधीन घोषित किया गया है।

3– उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के संमसंख्यक पत्र दिनांक 28–06–2019 एवं 09–08–2019 के द्वारा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुये चयनित अभ्यर्थियों के स्थाई/अस्थाई पते व निवास के जनपद सहित नामावली(सूची व सीडी) तथा उन सभी के ओ0एम0आर0/आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके क्रम में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी–अनु–6–प–2/2015 दिनांक 03.09..2019 के माध्यम से 2052आरक्षी महिला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के पुरूष वर्ग 34 अभ्यर्थियों सहित कुल–2086 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मय सीडी सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

4– उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवानियमावली–2008 को यथासंशोधित के नियम–16 अनुसार चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अध्यधीन होगी। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के जारी करने के पूर्व सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र की पुष्टि पूर्ण की जायेगी। चरित्र पुष्टि के दौरान चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्त के लिये योग्य नही होगा।

5– संगत नियमावली के नियम–15(छः)(दो) में सफल अभ्यर्थियों की सूची, उसके अनुमोदन तथा चरित्र सत्यापन आदि के सम्बन्ध में किये गये प्रावधान निम्नवत हैः–

> "बोर्ड आरक्षण नीति संबंधी दिशा–निर्देशों और बोर्ड को अधिसूचित की गयी रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुये अभ्यर्थियों को उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा जो नियुक्ति प्राधिकरी द्वारा चरित्र सत्यापन के अध्यधीन होगी। चयन सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी, जो उसे अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।"

..2

Scanned by CamScanner

6– उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत सूची में दर्शाये गये अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, का यह दायित्व होगा की अपने स्तर से अभ्यर्थी के ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अंकित स्थायी व अस्थायी पतों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही विशेष वाहक के माध्यम से एक सप्ताह में पूर्ण करा ली जाये। उक्त के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी विगत 05 वर्ष में 01 वर्ष से अधिक अवधि के लिये जहॉ प्रवास पर रहा हों, वहॉ से भी चरित्र सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाये।

7– ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के निवासी हैं और उ0प्र0 के निवासी नही है, उनका चरित्र सत्यापन उ0प्र0 राज्य के सीमावर्ती जनपद के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, द्वारा सम्बन्धित राज्य में अभ्यर्थी के निवास के जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, एवं उस राज्य के अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कराकर परिपूर्ण आख्या प्राप्त की जायेगी। उ0प्र0 राज्य के सीमावर्ती जनपद के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, का यह दायित्व होगा की उनके स्तर से ऐसे अभ्यर्थियों के ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र बोर्ड से प्राप्त करा लिये जायें तथा उसमें अंकित स्थायी व अस्थायी पते तथा इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अंकित कराये गये पते के जनपदों एवं उस राज्य के अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन की कार्यवाही समय से विशेष वाहक के माध्यम से इस प्रकार पूर्ण करायी जाये की उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे।

8– अभ्यर्थी के गृह जनपद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, द्वारा सत्यापन की समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराने के पश्चात अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद को शील बन्द लिफाफे में विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। शीघ्र ही इस मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति के जनपद आवंटित कर सूची सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित की जायेगी। नियुक्त हेतु आवंटित जनपद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,/पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त आदेश निर्गत करने से पूर्व प्रस्तर–8 में सत्यापन की समस्त कार्यवाही की पुष्टि कर लेने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेगे। चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी नियुक्त के लिये योग्य नही होगे। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा। और उस आदेश की प्रति के साथ अभ्यर्थी का सम्पूर्ण विवरण पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अनुपयुक्त घोषित करने वाले आदेश की प्रति पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमोदित करा ली जाये तथा उसके उपरान्त ही जारी किया जाये।

प्रारूप

क0सं0	नाम	पिता का नाम	अनुक्रमांक	गृह जनपद	अभ्युक्ति

9– चरित्र सत्यापन की कार्यवाही निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी:–

(क)शासनादेश संख्या 4694/।।–8–321–1947 दिनांक 28–04–1958 के प्रावधानो के अनुसार राज्य सरकार के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। पुलिस विभाग में चरित्र सत्यापन के लिये पुलिस प्रपत्र संख्या:92 पहले से ही प्रचलन में है। यह प्रपत्र प्रदेश के सभी जनपदीय पुलिस कार्यालयों में उपलब्ध है। अतः चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस प्रपत्र संख्या:92 की प्रविष्टियों को दो प्रतियों में भरकर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रपत्र में अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र में दिये गये स्थायी निवास के स्थान के साथ अस्थायी निवास स्थान (जो 01 से अधिक हो सकते है) के अनुसार ऐसे प्रत्येक अस्थायी निवास स्थान जहॉ विगत 05 वर्षो में अभ्यर्थी द्वारा 01 वर्ष से अधिक निवास किया गया हो, के लिये पुलिस प्रपत्र संख्या–92 की एक–एक अतिरिक्त प्रति भी भरायी जायेगी और अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाये गये स्थायी तथा अस्थायी निवास स्थान के प्रत्येक जनपद से उनके चरित्र सत्यापन की कार्यवाही नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 28.4.1958 के साथ संलग्न तृतीय प्रारूप को भरकर एवं संलग्न द्वितीय प्रारूप में दो व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र (जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 06 माह के अन्दर निर्गत किया गया हो) को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अतः इसके लिये जनपद स्तर पर नोडल राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में ऐसी टीम गठित की जाय जो इस कार्य को समय से पूरा करायें। उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि नियुक्त प्राधिकारी यह उल्लिखित कर सकते है कि किस प्रकार के व्यक्तियों से

..3

Scanned by CamScanner

अभ्यर्थी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। अतः उचित होगा की चरित्र सत्यापन के समय उसके निवास के दो सम्भ्रांत व्यक्तियों से अभ्यर्थी के चरित्र/चाल–चलन के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाये। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थी से उस शैक्षिक संस्थान के प्रमुख से चरित्र एवं आचरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। जहॉ से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो। यदि आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र नही प्राप्त किये गये है। तो चरित्र सत्यापन के समय इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख)नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। शपथ–पत्र में दी गयी सूचना के गलत पाये जाने अथवा किसी तथ्य को छिपाये जाने पर उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त करते हुये विधि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। शपथ–पत्र का प्रारूप उत्तर प्रदेश पुलिस के वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर उपलब्ध है, जिसका एक प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। अभ्यर्थीगण उक्त वेबसाइट से शपथ पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

(ग)अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन वाले जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, का दायित्य होगा कि वह आवेदन–पत्र में अंकित स्थायी/अस्थायी पतों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से भेजकर एक सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण कराये तथा उनमें विद्यमान कमियों को भी अपने स्तर से पूर्ण कराये।

(घ)चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति का विवरण उपस्थिति रजिस्टर के संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिये प्रत्येक जनपद में एक पुलिस उपाधीक्षक, को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाय जो जनपद द्वारा निर्गत चरित्र सत्यापन तथा जो चरित्र सत्यापन अन्य जनपदों से प्राप्त हों, उन्हें भी समय से पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही करेगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा की चरित्र सत्यापन के उपरान्त संकलित रूप में जनपद/अभिसूचना मुख्यालय के चरित्र सत्यापन परिणाम के अनुसार अगली अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(च)नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर आरक्षियों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी दैनिक सूचना प्रतिदिन भरवाना सुनिश्चित करेंगे।

(छ)यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र/अभिलेख सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है। तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित करने के सम्बन्ध में नियमावली में विहित संगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ज)यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये जाये तो भर्ती के लिये अभ्यर्थी का कोई दावा नही होगा। और यदि भर्ती के बाद भी भविष्य में कोई गलत तथ्य पाये जाये तो अभ्यर्थी को बिना शर्त उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी पद की सेवा से पृथक कर दिया जायेगा तथा वैधानिक दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। शपथ'–पत्र में इस आशय की सहमत प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित होगी।

(झ)यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हुये है अथवा ऐसे पंजीकृत मामले विवेचना से उनके विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय है। या किसी आपराधिक मामले में धारा 169 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत रिहा हुये हैं या भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उद्यम व संस्थान से सेवा से विमुक्त किये गये है अथवा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध हुये है अथवा नैतिक अधमता के मामले विचाराधीन है, जिनकी शपथ पत्र में घोषणा नही की गयी हैं तथा उन्हें छिपाया गया है। अथवा गुमराह किया गया है तो ऐसा करने के लिये अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुपयुक्त (अनफिट) घोषित किया जायेगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा, जिसपर अभ्यर्थी का कोई दावा नही होगा। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में मा0 सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश में दोष सिद्ध अथवा दोषमुक्त किया जाता है। तो शासनादेश संख्याः4694।।–8–321–1947 दिनांक 28–04–1958 में विहित प्रावधानो के अनुसार ऐसे प्रत्येक मामले को जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिस जिले में अभियोग पंजीकृत हुआ था, उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को संदर्भित करेगे और सम्बन्धित अभ्यर्थी के आरक्षी ना0पु0 के पद पर भर्ती के लिये उपयुक्त होने अथवा उपयुक्त

..4

Scanned by CamScanner

नही होने के सम्बन्ध में उनकी सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत प्राप्त करेगे, जिसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति के बारे में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,/पुलिस अधीक्षक, सुविचारित निर्णय लेगे।

10– अभ्यर्थीगण से अपेक्षित है कि वे चरित्र सत्यापन के समय अपने साथ प्रर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ लेकर जायेगे।

11– चयनित अभ्यर्थियों की सुगमता के लिये प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक उपनिरीक्षक ना0पु0 के नेतृत्व में 1 सहायता केन्द्र की भी स्थापना कर दी जाये, जो अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाईया का सम्यक समाधान सुनिश्चित करेगे। अभ्यर्थियों द्वारा चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित कोई भी सूचना अथवा जानकारी उक्त सहायता केन्द्र से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

12– चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 10 दिवस के अन्दर पूर्ण करायी जानी है। इसे समयान्तर्गत पूर्ण कराने के लिये जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, का निकटतम पर्यवेक्षण नियतान्त आवश्यक है।

13– परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक कृत कार्यवाही की स्वयं भी समीक्षा करते हुये जनपद स्तर पर नियत समयावधि में चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अपना मार्ग–दर्शन देने का कष्ट करे।

14– शासनादेश संख्या 4694/।।–8–321–1947 दिनांक 28–04–1958 चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा–निर्देश उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवानियमावली–2008(यथासंशोधित जून–2013) में विहित संगत प्रावधान/व्यवस्थाये, शपथ पत्र का प्रारूप, पुलिस मुख्यालय को सूचना भेजे जाने हेतु 26 कालम का प्रारूप, उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप, दैनिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप, अनुक्रमणिका आदि संलग्न कर प्रेषित है।

15– अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की इस कार्यवाही को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाये एवं प्रत्येक दशा में 10 दिवस में चरित्र सत्यापन पूर्ण कराकर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक यथोपरि।

05/9/14

(तेज स्वरूप सिंह)
पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

1– प्रभारी कन्ट्रोल रूम मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वे ई–मेल/क्यूमेल/फैक्स करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करे।

Scanned by CamScanner

रू0 10/– के नॉन–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिए जाने वाले

शपथ पत्र का प्रारूप

नाम ..... अनुकमांक(आरक्षी भर्ती 2013 का) ..... जन्म–तिथि .....

पुत्र श्री..... निवासी..... थाना..... जनपद..... का शपथ पत्र।

मैं .....उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

(1) यह कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 में आरक्षी पुलिस के पद पर प्रशिक्षण के लिए मेरा चयन हुआ है और इस पद के बेसिक प्रशिक्षण हतु दिनांक ..... को जनपद / प्रशिक्षण संस्थान ..... में आमद हुई है।

(2) यह कि चरित्र सत्यापन वाले जनपद .....द्वारा मुझे भेजे गये बुलावा पत्र में किये गये उल्लेख "उक्त प्रशिक्षण (आरक्षी पुलिस पद का बेसिक प्रशिक्षण) एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया (आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013) के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा" को मैंने ठीक से पढ़ा है जिसकी मुझे भली–भॉति जानकारी है।

(3) मैं यह भली–भॉति जानता हूँ कि यदि मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 के घोषित चयन परिणाम के विरूद्ध कोई भी निर्णय दिया जा सकता है जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सर्विस(सेवा) परिवर्तित हो सकती है तथा मेरिट लिस्ट के अन्त के कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं। मा0 न्यायालय के ऐसे निर्णय से यदि आरक्षी ना0पु0 के पद से मेरी सेवा आरक्षी पीएसी या फायरमेन के पद हेतु परिवर्तित होती है अथवा मेरा नाम चयन परिणाम से बाहर हो जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(4) यह कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 के भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित चयन परिणाम के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय से सर्विस (सेवा) परिवर्तित होने अथवा चयन परिणाम से बाहर होने जाने की सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं जिनके विरूद्ध मेरे द्वारा किसी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं किया जायेगा।

शपथकर्ता

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

मैं.....उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस पत्र के प्रस्तर ..... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य एवं सही हैं, इस शपथ पत्र के प्रस्तर.....में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है और जिन्हें मै विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य हैं, इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनाक .....को ..... पूर्वान्ह / अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी / शपथकर्ता

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या—1

SECRET

No. 4894/II-B—321-1947

FROM

SRI GOVIND NARAIN, I.C.S.,
MUKHYA SACHIVA,
UTTAR PRADESH SHASAN.

To

(1) ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES, UTTAR PRADESH.
(2) ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS, UTTAR PRADESH.
(3) ALL DISTRICT OFFICERS, UTTAR PRADESH.

Appointment (B) Deptt. *Dated Lucknow, April 28, 1958*

Subject : Verification of the character and antecedents of government servants before their first appointment.

I AM directed to refer to Appointment (B) Department Secret G. O. no. 2712/II-B—321-1947, dated November 9, 1953 in which detailed instructions were issued regarding the method of verifications of character and antecedents of candidates for appointment under the State Government. These instructions were later on revised in this Department Secret G. O. no. 4637/II-B—321-47, dated December 4, 1957. It has been noticed that difficulty is being experienced by some appointing authorities in correctly interpreting the instructions issued in the Government Order, dated December 4, 1957. It has also been found that these instructions are not fully comprehensive to cover all the cases. The Governor has therefore been pleased to lay down the following instructions in supersession of all the previous orders on the subject.

The rule regarding character of candidate for appointment under the State Government shall continue to be as follows :

"The character of a candidate for direct appointment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service or post to which he is to be appointed. It would be the duty of the appointing authority to satisfy itself on this point.

3. (*a*) Every direct recruit to any service under the Uttar Pradesh Government will be required to produce :

(i) A certificate of conduct and character from the head of the educational institution where he last studied (if he went to such an institution).

(ii) Certificates of character from two persons. The appointing authority will lay down requirements as to kind of persons from whom it desires these certificates.

(*b*) In cases of doubt, the appointing authority may either ask for further references, or may refer the case to the District Magistrate concerned. The District Magistrate may then make such further enquiries as he considers necessary.

NOTES—(*a*) A conviction need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of Government as by law now established in free India the mere conviction need not be regarded as disqualification. (Conviction of a person during his childhood should not necessarily operate as a bar to his entering Government service. The entire circumstances in which his conviction was recorded as well as the circumstances in which he is now placed should be taken into consideration. If he has completely reformed himself on attaining the age of understanding and discretion, mere conviction in childhood should not operate as a bar to his entering Government service).

(*b*) While no person should be considered unfit for appointment solely because of his political opinions, care should be taken not to employ persons who are likely to be disloyal and to abuse the confidence placed in them by virtue of their appointment. Ordinarily, persons who are actively engaged in subversive activities including members of any organisation the avowed object of which is to change the existing order of society by violent means should be considered unfit for appointment under Government. Participation in such activities at any time after attaining the age of 21 years and within three years of the date of enquiry should be considered as evidence that the person is still actively engaged in such activities unless in the interval there is positive evidence of a change of attitude.

(*c*) Persons dismissed by the Central Government or by a State Government will also be deemed to be unfit for appointment to any service under this Government.

Added vide G. O. No. O-2130 II B. 212-1960 dated December 24, 1965

(c) In the case of direct recruits to the State Services under the Uttar Pradesh Government besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(a) above the appointing authority shall refer all cases simultaneously to the Deputy Inspector General of Police, Intelligence and the District Magistrate ‡[of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry] giving full particulars about the candidate. The District Magistrate shall get the reports in respect of the candidates from the Superintendent of Police who will consult District Police Records and records of the Local Intelligence Unit. The District Police or the District Intelligence Unit shall not make any enquiries on the spot, but shall report from their records whether there is anything against the candidate, but if in any specific case the District Magistrate, at the instance of the appointing authority asks for an enquiry on the spot, the Local Police or the Local Intelligence Units will do so and report the result to him. The District Magistrate shall then report his own views to the appointing authority. Where the District Police or the Local Intelligence Units report adversely about a candidate, the District Magistrate may give the candidate a hearing before sending his report.

(d) In the case of direct recruits (who are lower in rank than that of a State Service Officer) of :

(i) the police * (including ministerial staff of Police Offices),

(ii) the Secretariat,

(iii) the staff employed in government factories.

(iv) powerhouses and dams,

besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(a) above the appointing authorities shall refer all cases simultaneously to the Deputy Inspector General, C. I. D. and the District Superintendent of Police, **[of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry] giving full particulars about the candidate. The Superintendent of Police will send his report direct to the appointing authority if there is nothing adverse against the candidate. In cases where the report is unfavourable the Superintendent of Police will forward it to the District Magistrate who will send for the candidate concerned give him a hearing and then, form his own opinion. All the necessary papers (the Superintendent of Police's report, the candidate's statement and the District Magistrate's finding) will thereafter be sent to the appointing authority.

4. It will be seen that in cases of direct recruits to services other than those mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above, verification shall not be necessary as a matter of routine except in cases of doubt when the procedure mentioned in paragraph 3(b) shall be followed.

5. In the case of a candidate for services mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above—

(i) if at the time of enquiry the candidate is residing in a locality situated outside Uttar Pradesh or if he has resided in such a locality at any time within five years of the date of enquiry for a period of one year or more it shall be the duty of the Deputy Inspector General, C. I. D. to consult also the C. I. D. of the State concerned in which the locality is situated before making his verification report ;

(ii) if the candidate was residing before partition in area now comprising Pakistan the Deputy Inspector General, C. I. D. shall also make a reference to the Director of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, in addition to the usual enquiries as indicated above.

6. It has also been observed that where the District Magistrates are required to send the attestation forms they sometimes do not sign the forms themselves. Government consider it very desirable that the attestation forms should invariably be signed by the District Magistrates themselves in all such cases.

7. Other State Governments and Administrations are being informed separately that the verification of character and antecedents of recruits to their services from this State will henceforth be done according to the procedure adopted in the case of recruits to different categories of services under this State Government.

‡Substituted vide G. O. no. 3780/II B—321-1947, dated June 11, 1950.

*Added vide G. O. no. 57/II. B.-212-1950, dated May 22, 1951.

**Added vide G. O. no. 4151/II B-212-1952, January 10, 1953.

Scanned by CamScanner

8. In order to prevent a candidate, who has been disqualified for Government employment from securing employment in a subordinate or inferior service other than those mentioned in paragraph 3(*d*), every person recruited to these services should be required at the time of joining his appointment to fill up the form appended as Annexure III to this letter. If he is found to have made a false statement in this connection, he should be discharged forthwith, without prejudice to any other action that may be considered necessary.

9. All questions arising from these orders shall be referred to Government in the Appointment (B) Department for decision.

10. A form each of (i) Particulars about the candidate, (ii) Character Certificate and (iii) statement of candidates to be used by the enquiring officers is annexed to this letter.

Yours faithfully,
GOVIND NARAIN,
Mukhya Sachiv.

No. 4694 (1)/II-B—321-1947

Copy forwarded for information and necessary action to—

(1) all Departments of the Secretariat,

(2) the Deputy Inspector General of Police, C. I. D., Uttar Pradesh, Allahabad,

(3) the Secretary, Public Service Commission, Uttar Pradesh, Allahabad,

(4) the Secretary to the Governor, and

(5) the Registrar, High Court of Judicature at Allahabad.

By order,
P. C. PANDE,
Up Sachiv.

ANNEXURE I

ATTESTATION FORM*

Warning

(1) The furnishing of false information or suppression of any factual information in this form would be a disqualification, and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

(2) If detained, convicted, debarred, etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated to the U. P. Public Service Commission, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information :

1. Name in full with aliases, if any..

2. Father's name in full with aliases, if any, and designation of service, if any...........

....

3. Nationality of :

Father...

Mother...

Husband...

Wife...

Place of birth...

Husband...

Wife...

4. Home address in full :

(i.e. Village, Thana and District/Road, Street or Lane with house no.)

....

....

....

If originally a resident of Pakistan, the address in that Country and the date of migration to India should be stated here.

....

....

....

5. Present address in full...

6. Addresses during the preceding five years...

....

....

....

7. Age and date of birth (if the candidate is a matriculate, his age at matriculation should be noted)..

8. Educational qualifications showing places of education with years in schools and collges since the 15th year of the candidate...

Name of the School/College with full address	Date of entry	Date of leaving	Examination passed

9. Offices or firms with full description and addresses where the candidate previously worked and where he is working at present, if any ....

Designation of the post held or description of work	Period From	To	Full address of the office, firm or institution	Full reasons for leaving the previous service

10. Names of two responsible persons in the locality or two referees to whom the candidate is known ....

....

11. (*a*) Have you ever been arrested, prosecuted, kept in detention or bound down, fined, convicted by a court of law for any offences or debarred/disqualified by any Public Service Commission from appearing at the examination/selections or debarred from taking any examination, rusticated by any other educational authority/institution ?

....

(*b*) Is any case pending against you in any court of law, university or any other educational authority/institution at the time of filling up this attestation form ? ....

If the answer to (*a*) or (*b*) is "Yes" full particulars of the case, arrest, detention, fine, conviction, sentence, etc. and the nature of the case pending in the court/university/educational authority, etc. at the time of filling up this form, should be given ....

....

....

(Please also see the 'warning' at the top of the attestation form)

(Certificate to be signed by the candidate)

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

Date ....

Signature of Candidate.

Place ....

Scanned by CamScanner

ANNEXURE II

Character Certificate

Certified that I have known Sri.............................., son of ....for the last..years ....months and that to the best of my knowledge and belief he bears a reputable character and has no antecedents which render him unsuitable for Government employment.

2. Sri..............................is/is not related to me.

Place........................ *Signature*........................

Date........................ *Designation*........................

ANNEXURE III

Form of Statement of candidates under consideration for appointment to a subordinate service under Government

I,....................a candidate for appointment to.. hereby certify that my answers to the following questions are correct :

(*a*) Have you previously been employed by the Central or a State Government ?

*No
—— *See* below :
*Yes

Department or office in which previously employed	Designation of appointment	Reasons for termination of appointment

(*b*) Have you previously applied with success for an appointment under the Central or a State Government ?

*No
—— *See* below :
*Yes

Department or office in which an appointment was sought	Designation of appointment applied for

I understand that if the above statement is false in any material respect, my appointment is liable to be terminated without notice, and without my being entitled to claim any compensation and without prejudice to any other action that may be considered necessary by competent authority.

Signature of candidate.

Date

*Strike out whichever is not applicable.

10

Scanned by CamScanner

शपथ–पत्र का प्रारूप

नाम ....उम्र लगभग.........वर्ष पुत्र श्री...............................निवासी : ग्राम / मुहल्ला / मकान सं0 ....:..........डाकघर........................, विकास खण्ड : .... थाना : .... तहसील : ...., जिला : .... (पिन कोड ....) का शपथ पत्र।

मैं.....................................उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

(1) यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु जिला...............................से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुकमांक.................................है।

(2) यह कि मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा / मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना (INVESTIGATION) लम्बित है।

(3) यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी भी सदस्य नहीं रहा और न हूँ।

(4) यह कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(5) यह कि कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने मेरा चालान नहीं किया है।

(6) यह कि मैं राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा से कभी भी बर्खास्त (DISMISS) नहीं किया गया हूँ।

(7) यह कि आवेदन–पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात गलत पायी जाय अथवा किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मुझे आरक्षी नागरिक पुलिस के कोर्स में सम्मिलित नहीं होने दिया जाये / कोर्स से निकाल दिया जाय तथा विधिक दण्ड दिया जाये।

(8) यह कि मैंने कभी भी किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है।

(9) यह कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरूद्ध पंजीकृत हुआ / हुए हैं या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस हैं, उनका विवरण निम्नवत है:–

(1)

(2)

(3)

(10) (क) यह कि मैं अविवाहित / विधुर हूँ।

(ख) यह कि मैं विवाहित हूँ तथा एक ही जीवित पत्नी है।

(ग) यह कि मैं विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं।

(11) यह कि यदि इस शपथ–पत्र(स्वघोषणा–पत्र) में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाए जायें तो मुझे आरक्षी नागरिक पुलिस के कोर्स / सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाये।

शपथकर्ता

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

मैं.....................................उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस पत्र के प्रस्तर..................... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। इस शपथ पत्र के प्रस्तर..................... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं तथा जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य हैं। इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनांक.......................को ....पूर्वान्ह / अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी / शपथकर्ता

Scanned by CamScanner

उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप

1—भर्ती बोर्ड का• कमांक ....

अभ्यर्थी द्वारा अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किया जायेगा जिसे जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा मिलान के उपरान्त प्रमाणित किया जायेगा।

2. अनुकमॉक..

3. अभ्यर्थी का नाम..

4. पिता का नाम..

5. स्थायी पता (गॉव / मकान नं0 व मोहल्ला, थाना, विकास खण्ड, तहसील, जिला और पिन कोड सहित)
....
....
....जनपद..पिन कोड..

6. पत्र व्यवहार का पता—(गांव / मकान नं0 व मोहल्ला, थाना, विकास खण्ड, तहसील, जिला और पिनकोड) ....
....
....
....जनपद..पिन कोड..
....

7. मोबाइल नं0—..

8— ई—मेल —..

अभ्यर्थी के बाये हाथ के अगूँठे का निशान	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एवं दिनॉक

Scanned by CamScanner

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप

क्र. सं.	जनपद	कुल अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन का विवरण		कितने अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन फार्म नही भराया गया, उनकी संख्या	अभ्युक्ति
			कितने चरित्र सत्यापन करा लिये गये हैं, की संख्या	चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु शेष की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7

नोट : यह सूचना **Excel File** में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अनुभाग दस के **E-Mail** पते **anubhagadhikari10phq@gmail.com** में भेजी जाय।

Scanned by CamScanner

आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती, 2013 में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन का विवरण

क्रमांक	श्रेणी क्रमांक	अनु-क्रमांक	नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईडी	स्थायी पता	स्थायी पते के जनपद को चरित्र सत्यापन भेजने का दिनांक	चरित्र सत्यापन के उपरान्त वापसी का दिनांक	पत्राचार का पता	अस्थायी पता जहाँ अभ्यर्थी विगत पाँच वर्ष में एक वर्ष से अधिक अवधि तक रहा हो		अस्थायी पते वाले जनपद को चरित्र सत्यापन भेजने का दिनांक	चरित्र सत्यापन के उपरान्त वापसी का दिनांक	अभिसूचना मुख्यालय को चरित्र सत्यापन भेजने का दिनांक	अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन के बाद वापसी का दिनांक	चरित्र सत्यापन से ज्ञात प्रतिकूल तथ्य का विवरण	प्रतिकूल तथ्य वाले अभ्यर्थी की पुलिस सेवा की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता सम्बंधी संस्तुति / अभिमत हेतु		जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त संस्तुति तथा अभिमत के क्रम में S/SP द्वारा		नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद का नाम	नियुक्ति आदेश पारित करने का दिनांक	अभ्यर्थी द्वारा ज्वाइन करने का दिनांक	HOB संख्या तथा दिनांक	PNO [illegible] संख्या	
																			S/SP द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित पत्रांक व दिनांक	जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त पत्रांक व दिनांक	पारित आदेश संख्या व दिनांक	PHQ को सूचना भेजने का पत्रांक व दिनांक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13क	13ख	14	15	16	17	18	19क	19ख	20क	20ख	21	22	23	24	25	26
								ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिनकोड			ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिनकोड	(1)	ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिनकोड															
												(2)	ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिनकोड															
												(3)	ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिनकोड															

Scanned by CamScanner

आरक्षी पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 (यथासंशोधित) के नियम–18 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी.....अनुकमांक.....पुत्र श्री.....निवासी ग्राम.....पोस्ट.....थाना..... तहसील..... .जिला..... (पिन कोड नं0.....) को उपर्युक्त नियमावली के अधीन रिकूट आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से जनपद..... में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य पे–बैण्ड ₹ 5,200–20,200 एवं ग्रेड पे 2,000/–(सातवे वेतनमान में यथा संशोधित) के अनुसार प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।

2. यह नियुक्ति आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण के प्रकरण में मा0उच्च न्यायालय में योजित सिविल रिट याचिका संख्या–18442/2018 प्रमोद कुमार सिंह व 09 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 के निर्णय के अधीन तथा चयन प्रकिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

3. प्रतिसार निरीक्षक उक्त अभ्यर्थी को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जेटीसी) कराना सुनिश्चित करें।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.....।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद.....।

संख्या : दिनांक अगस्त , 2019

प्रतिलिपिः–प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिकूट आरक्षी को भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, जेटीसी कराने तथा किट प्रदान किये जाने हेतु।

2. आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. अभ्यर्थी श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम ..... पोस्ट ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....(पिन कोड नं0.....) को अनुपालनार्थ।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.....।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक–प्रशिक्षण, उ0प्र0पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, ... जोन .....।
3. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक ..... परिक्षेत्र, ...।

Scanned by CamScanner